109/2016 जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

मुन्तकिली प्रकरण सं0 109/2016 अनवानी लेखराम पुत्र गंगाराम जहाति मेघवाल निवासी 3 एलसी जैतसर तहसील श्रीविजयनगर बनाम 1–मुखराम (मृतक) 1/1–जीवनादेवी पत्नि मुखराम जाति बाबरी नि0 81 एलएनपी तहसील पदमपुर 1/–सुखीदेवी 1/3–रामलाल 1/4 बिन्दो देवी 1/5–श्रवण 1/6–बिरमादेवी 1/7–विमलादेवी 2– जसविन्द्रकौर 3–गोपीराम 4–भगतसिंह 5–गोविन्दराम वगैरा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

11.02.2017

पत्रावली आज राष्ट्रीय लोक अदालत में पेश हुई। प्रार्थी के अभिभाषक श्री गुरप्रीत सिंह भुल्लर उपस्थित है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री विरेन्द्र सिहाग उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री विरेन्द्र सिहाग का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 102/2012 अनवानी मुखराम आदि बनाम लेखराम आदि धारा 251ए आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का पद रिक्त होने के कारण उनका अतिरिक्त कार्यभार उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर के पास था। चूंकि अब उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के पद पर नये पीठासीन अधिकारी नियुक्ति हो चुकी है और उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का कार्यभार नये पीठासीन अधिकारी द्वारा ग्रहण कर लिया गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा उपखण्ड अधिकारी पदमपुर के न्यायालय में लम्बित प्रकरण संख्या 102/2012 अनवानी मुखराम आदि बनाम लेखराम आदि धारा 251ए आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का पद रिक्त होने के कारण उनका अतिरिक्त कार्यभार उपखण्ड अधिकारी, श्रीकरनपुर के पास था। चूंकि अब उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के पद पर नये पीठासीन अधिकारी नियुक्ति हो चुकी है और उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का कार्यभार नये पीठासीन अधिकारी द्वारा ग्रहण कर लिया गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

420
21/02/17

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 11.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

ज्ञाना

(ज्ञाना राम)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर